

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा – एक विवेचन

डॉ. अपर्णा त्रिपाठी

एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग, एकेपीजी कॉलेज, हापुड

सारांश

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा पर विमर्श को फिर से गति प्रदान की। मानव संसाधन विकास हेतु ईसीसीई की आधारशिला अत्यावश्यक है। विभिन्न संस्थाओं यथा- एनसीईआरटी, एनआइपीसीसीडी के शोध बताते हैं कि पूर्व विद्यालय शिक्षा प्राप्त बालकों में लेखन-ध्वनि- वर्गीकरण योग्यताएं उनकी अपेक्षा बेहतर होती है जो यह शिक्षा प्राप्त नहीं करते तथा इन बालकों की प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति की संभावना भी ज्यादा होती है अर्थात् पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक है

संकेत शब्द: ईसीसीई, आंगनवाड़ी, आईसीडीएस, एनईपी

Date of Submission: 27-05-2022

Date of Acceptance 12-06-2022

प्रस्तावना-

शिक्षा वैयक्तिक विकास का मूल है, सभ्यता-संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और संप्रेषण का साधन है। शिक्षा की सभी परिभाषाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है। शैक्षिक प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। बालक के जीवन के आरंभिक वर्ष उसके भावी जीवन की नींव होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की बच्चों की अधिकार समिति ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को जन्म से 8 वर्ष तक की आयु के रूप में परिभाषित किया है। आरंभिक बाल्यावस्था मानव जीवन में विकास कि वह कोमल अवस्था है जिसमें शारीरिक सामाजिक, संवेगात्मक व ज्ञानात्मक विकास अधिकतम तीव्र गति से होता है। यह माना गया है कि इस अवस्था तक मस्तिष्क का लगभग 85% विकास हो जाता है, अतः इस आयु की महत्ता स्वयं सिद्ध है। वर्तमान में भारत में लगभग 158 करोड़ बालक 0 – 6 आयु वर्ग के हैं, जिन के समग्र विकास हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि देश के भावी मानव संसाधनों को सक्षम व देशोपयोगी बनाया जा सके। सामान्य रूप से शिक्षा का प्रथम स्तर 6 वर्ष की आयु के पश्चात प्राथमिक शिक्षा को माना जाता रहा किंतु अब “आरंभिक बाल्यकाल देखभाल व शिक्षा” को विशिष्ट स्थान प्राप्त हो रहा है। भारतीय परिवारों में सामान्यतः कभी 6 वर्ष से पहले बालक को विद्यालय भेजने का प्रथा नहीं रही, शैशव अवस्था से बाल्यावस्था तक की अवधि परिवार, विशेष रूप से दादा-दादी या नाना-नानी अथवा संयुक्त परिवार के सदस्यों के मध्य रहकर ही मूल्य, नैतिकता, सामाजिकता सीखते हुए व्यतीत होती थी किंतु आधुनिकता के दुष्प्रभावों से यह व्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हुई और नाभिकीय परिवारों के उदय ने “पूर्व स्कूल शिक्षा” को अनौपचारिक से औपचारिक में परिवर्तित कर दिया।

डॉक्टर मारिया मांटेसरी (1870 -1952) द्वारा विकसित मांटेसरी विधि शिक्षा की बाल केंद्रित व्यवस्था है जो कि जन्म से वयस्कता तक बालकों के वैज्ञानिक निरीक्षण पर आधारित है। मांटेसरी ने मानव विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित कर अपना सिद्धांत दिया, यह चार अवस्थाएं हैं -जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से 24 वर्ष। उनके अनुसार जन्म से 6 वर्ष बालक अपने अब्जॉर्बेट माइंड द्वारा परिभाषित किया जाता है क्योंकि वह अपने वातावरण, भाषा और संस्कृति के विभिन्न आयाम अवशोषित करता है जबकि 6 से 14 वर्ष का बालक रीजनिंग माइंड रखता है और अमूर्त विचारों व कल्पना से सीखता है, इसी प्रकार 12 से 18 वर्ष का किशोर मानवीय मस्तिष्क के साथ मानवता के समाज पर केंद्रित होता है तो 18 से 24 वर्षीय वयस्क विशेषज्ञ मस्तिष्क के साथ संसार में अपना स्थान बनाता है। उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर मांटेसरी ने अपने शैक्षिक कार्यक्रम विकसित किए क्योंकि उन्होंने माना कि शिक्षा बालक के स्वाभाविक विकास का ही अनुसरण करती है। “नीडो” (घोंसला) नाम उन्होंने अपने आरंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम को दिया जो कि 8

सप्ताह की आयु के बालकों के लिए आरंभ होकर स्वयं चलने में सक्षम हो जाने वाले बालकों के लिए है। चलना सीख लेने के बाद बालक “टॉडलर” समूह में सम्मिलित होकर अपने ही जैसे बच्चों के मध्य रह कर सीखता है। यह कार्य 8 सप्ताह से 3 वर्ष तक के बच्चों और उनके माता-पिता के मध्य अंतरक्रिया पर आधारित है जो कि प्रशिक्षित मॉटेसरी शिक्षक के निर्देशन में चलती है। 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए प्रीस्कूल या चिल्ड्रेन हाउस आरंभ होता है। प्रीस्कूल के मुख्य आयाम व्यावहारिक जीवन, संवेदी प्रशिक्षण, भाषा व गणित हैं। मॉटेसरी विधि इसके बाद आगे के शैक्षिक स्तरों में भी विस्तारित है। 1939 में व्याख्यान यात्रा के लिए थियोसॉफिकल सोसायटी के सौजन्य से मारिया मॉटेसरी भारत आई और विश्व युद्ध के कारणों से अगले अनेक वर्ष भारत में रहीं। इस अवधि में उनकी विधि ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को काफी प्रभावित किया। यद्यपि उनके भारत प्रवास से पहले ही उनकी ख्याति भारत में आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को प्रभावित कर रही थी। डॉक्टर मारिया मॉटेसरी की लिखी पुस्तक उनके कार्यों से प्रभावित होने वालों में गिजूभाई व ताराबाई मोदकथे, जिन्होंने दक्षिणमूर्ति बाल मंदिर, मारिया मॉटेसरी सोसाइटी शिशु विहार, नूतन बाल शिक्षण संघ को आरंभ किया और भारत में प्रीस्कूल के महत्व को प्रचारित किया। मारिया मॉटेसरी के भारत प्रवास के दौरान मॉटेसरी विधि का यहां प्रचुर प्रचार प्रसार हुआ जिसमें सरला साराभाई, जीएस. अरुंडेल, जे आर डी टाटा, सी राजगोपालाचारी का प्रमुख योगदान रहा।

सार्जेंट रिपोर्ट (1944), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) दोनों ने ईसीसीई को अनौपचारिक, बिना औपचारिक शैक्षिक वातावरण, सामाजिक अनुभव द्वारा भावी जीवन की तैयारी के रूप में प्रस्तावित किया।

वित्तीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोपीय देशों के बालकों की दुरावस्था को संभालने में उनकी भोजन वस्त्र व स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक नई संस्था “यूनिसेफ” का गठन किया गया। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थाई अंग बन गया और इसने अपना प्रथम वैश्विक कार्यक्रम बच्चों में यौजनामक बैकटीरियल इंफेक्शन के उन्मूलन हेतु चलाया। 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने Declaration of the rights of child (बाल अधिकारों की घोषणा) को अंगीकार किया जिसमें बच्चों के सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण संबंधी 10 सिद्धांतों को 78 देशों द्वारा स्वीकार किया गया। इसे बच्चों के मौलिक अधिकार संबंधी प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी कहा जा सकता है। यह अधिकार निम्न हैं-

प्रथम- समानता का अधिकार नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता में अंतर किए बिना

द्वितीय- विशिष्ट सुरक्षा का अधिकार, बच्चों के शारीरिक मानसिक व सामाजिक विकास के लिए

तृतीय- नाम व राष्ट्रीयता का अधिकार

चतुर्थ- सम्यक पोषण, आवास व चिकित्सा का अधिकार

पंचम- विशिष्ट शिक्षा व उपचार का अधिकार, यदि बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग है

षष्ठ- माता-पिता व समाज द्वारा अवबोध व प्रेम का अधिकार

सप्तम- निशुल्क शिक्षा व मनोरंजन का अधिकार

अष्टम- सभी परिस्थितियों में प्रथम सहायता प्राप्ति का अधिकार

नवम- सभी प्रकार की उपेक्षा, निर्दयता व शोषण से सुरक्षा का अधिकार

दशम- समझ, सहिष्णुता, मित्रता व सार्वभौमिक बंधुत्व की भावना के साथ विकसित होने का अधिकार

इस घोषणा के सभी अधिकार न्यून्यनाधिक रूप से ईसीसीई से ही संबंधित हैं। भारत भी इस घोषणा में हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों में से एक था अतः भारतीय नीतियों में भी इन अधिकारों को सम्मिलित करने का विवेचन आरंभ हुआ।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1960 में विशेष रूप से 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण पर विस्तृत योजना तैयार करने के लिए बी.ताराबाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। 10-6 आयु वर्ग को विशेष रूप से इसलिए बल दिया गया क्योंकि इससे पूर्व गठित विभिन्न समितियां/आयोग अपना ध्यान प्राथमिक शिक्षा के बालकों पर केंद्रित रखे हुए थे। 1962 में इस समिति ने अपने 464 पृष्ठका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें बाल कल्याण के समस्त पहलुओं यथा- परिवार व इसका महत्व, बाल जनसंख्या तथा परिवार नियोजन, नवजात मृत्युदर व नवजात रोग, नवजात स्वास्थ्य व कल्याण, प्री-स्कूल की संकल्पना- कार्यकर्ता- प्रशासन- कार्यक्रम- संस्थाएं तथा बाल साहित्य- खेल- कला पर गहनता से अध्ययन किया। समिति की विशद वर्णित संस्तुतियों में से प्रमुख इस प्रकार हैं-

- भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रत्येक राज्य एक बाल अधिनियम बनाए।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा बाल कल्याण पर एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति गठित की जाए।
- नेशनल ब्यूरो ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का गठन किया जाए
- बाल कल्याण से संबंधित सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण इत्यादि के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाए।
- प्रधानमंत्री बालकोष को समृद्ध किया जाए।
- कम से कम 1000 प्रीस्कूल स्थापित किए जाएं, जिनमें प्रति प्रीस्कूल 30 बालक हों।
- प्रत्येक जिले में एक पायलट प्रीस्कूल बनाया जाए। बाल अध्ययन से संबंधित प्रयोगात्मक प्रीस्कूल उच्च संस्थाओं यथा- विश्वविद्यालय इत्यादि से संबंधित किए जाएं।
- प्रीस्कूल अध्यापकों के लिए 2 वर्षीय तथा बाल सेविका के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए।
- प्रीस्कूल/बाल केंद्र के लिए खिलौने व सामग्री बनाने के लिए राष्ट्रीय खिलौना उद्योग लगाया जाए।
- राष्ट्र बाल्यकाल की समस्त अवस्थाओं- इंटर्यूरिन, इन्फैंसी, टॉडलर, प्रीस्कूल को समान महत्व दे।
- 6 वर्ष तक की आयु के बालकों के कल्याण हेतु निम्न व्यवस्थाएं की जाएं-परिवार नियोजन में परामर्श कार्यक्रम प्री व पोस्टनेटल देखभाल के लिए सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम

सामुदायिक अस्पताल व बाल विभाग

क्रेच व डे नर्सरी

प्रीस्कूल

अपंग बच्चों के लिए संस्थाएं

6 वर्ष तक के बालकों से संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए समाज कल्याण केंद्र

- मातृ एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को भी बाल कल्याण के ही अंग के रूप में महत्व दिया जाए।
- प्रीनेटल व पोस्टनेटल केयर कार्यक्रम सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के प्राथमिक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण माने जाएं।
- टीकाकरण व सम्यक पोषण पर विशेष बल दिया जाए।

यदि यह कहा जाए कि ताराबाई समिति ने भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा की नींव रखी तो यह गलत नहीं होगा।

कोठारी आयोग 1964 ने भारतीय शिक्षा के लगभग समस्त पक्षों का अध्ययन किया व अपनी संस्तुति दी। अब तक भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों हेतु विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम पद्धतियां प्रचलित थीं, आयोग ने उसे एकरूपता प्रदान करने का प्रयास किया। इसी क्रम में विद्यालयी शिक्षा में प्रीस्कूल/किंडरगार्टन/मोंटेसरी इत्यादि नाम पद्धति थीं जिसे आयोग ने प्रीस्कूल का नाम दिया। शिक्षा आयोग के आधार पर संकल्पित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भारतीय शिक्षा की पुनर्रचना का आधार बनी। इस नीति ने संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा प्रदान करने का संकल्प दोहराया व संपूर्ण देश में शिक्षा की एकरूपता समर्थन किया।

1972 में स्वामीनाथन समूह ने स्थानीय समुदाय के साधनों द्वारा प्रीस्कूल बच्चों के लिए समेकित विकास सेवाओं की एक कार्य योजना तैयार की। समेकित सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण व पोषण को सम्मिलित किया गया। इन सेवाओं से 3 से 5 वर्ष के बालक आच्छादित थे। इस कार्यक्रम को प्रशिक्षित- अल्पकालिक- स्थानीय-महिला कार्यकर्ता व पर्यवेक्षक द्वारा संचालित कराने की संस्तुति अध्ययन समूह द्वारा दी गई जिसका प्रशासन राष्ट्रीय- राज्य - जिला- स्थानीय स्तर पर प्रस्तावित था।

महिलाओं के स्तर के अध्ययन के लिए गठित श्रीमती गुहा समिति 1971 ने भी अपने प्रतिवेदन में 3 वर्षीय प्रीस्कूल शिक्षा को बालवाड़ी के माध्यम से देने की संस्तुति की।

1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति को अंगीकार किया गया। यह मत व्यक्त किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार घोषणा का हिस्सा होने के कारण राज्य की यह नीति होनी चाहिए कि वह बच्चों को जन्म से पूर्व, जन्म के बाद तथा विकास काल के दौरान शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास हेतु पर्याप्त सेवाएं प्रदान करे। नीति के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा से संबंधित प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-

- सभी बच्चे व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम से आच्छादित हों।
- स्वास्थ्य कार्यक्रम पोषण सेवाओं को भी प्रदान करें।
- यह कार्यक्रम नई एवं भावीमांओं के स्वास्थ्य, देखभाल, पोषण व पोषण शिक्षा को भी सम्मिलित करें।
- नवजात एवं प्रीस्कूल बालकों के पोषण, देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु क्रेच व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।

यह नीति 1975 में आरंभ हुए समेकित बाल विकास योजना (ICDS) कार्यक्रम का आधार बनी जो कि आज प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा की प्रमुख पहचान के रूप में हमारे सामने है।

आज से लगभग 47 वर्ष पूर्व भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 को “समेकित बाल विकास योजना” कार्यक्रम को आरंभ किया गया जोकि प्रारंभ बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा हेतु चलने वाला विश्व का अनूठा कार्यक्रम है। यह मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आरंभ हुआ-

- 0-6 आयु वर्ग के बालकों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य की देखभाल
- बालकों के समुचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास का आधार तैयार करना
- कुपोषण व मृत्यु दर को कम करना
- बालकों के संतुलितपोषण, स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण आवश्यकताओं हेतु मांओं को जागृत करना
- उक्त की प्राप्ति हेतुनीति एवं क्रियान्वयन के मध्य संतुलन बनाना

उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह योजना 6 सेवाओं का संकुल है-

1. पूरक पोषण: इस का लक्ष्य समूह से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माएँ हैं। इसकी सेवा प्रदाता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायक हैं। इसमें साल में कम से कम 300 दिन पूरक पोषण आहार दिया जाता है। वर्तमान में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रतिदिन 12 से 15 ग्राम प्रोटीन व 500 कैलोरी पोषण आहार दिए जाने की व्यवस्था है।

2. टीकाकरण: इस योजना में प्रतिमाह सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का प्रावधान है।

3. स्वास्थ्य परीक्षण: आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रत्येक माह किसी एक निश्चित दिन एएनएम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा महिलाओं व बच्चों की स्वास्थ्य जांच की जाती है।

4. अग्रिम परामर्श सेवा: स्वास्थ्य परीक्षण के बाद आवश्यकतानुसार खंड चिकित्सा अधिकारी अथवा विकासखंड जिला स्तरीय चिकित्सालय में अग्रिम परामर्श हेतु भेजा जाता है।

5. पूर्व प्राथमिक एवं अनौपचारिक शिक्षा: 3 से 6 वय वर्ग के बालकों को खेल के माध्यम से प्रारंभिक ज्ञान देना इसका उद्देश्य है ताकि उनकी आगामी प्राथमिक शिक्षा हेतु सुदृढ़ नींव रखी जा सके।

6. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा: आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य कार्यकर्ता आंगनवाड़ी क्षेत्रांतर्गत आने वाले घरों में जाकर सर्वेक्षण करती हैं तथा महिलाओं को सम्यक स्वास्थ्य व पोषण के बारे में जागरूक किया जाता है।

आईसीडीएस के तृणमूल स्तर पर क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायक एवं आशा पर निर्भर है। यह योजना ईसीसीई के लिए संभवतः प्रथम राष्ट्रव्यापी, संगठित व सुनियोजित प्रयास है। ईसीसीई के उद्देश्यों- बाल्यावस्था में स्वास्थ्य देखभाल, बालकों की अभिव्यक्ति क्षमता अनुसार विकास हेतु व्यवस्था, आनंदपूर्ण शिक्षण क्रियाओं की व्यवस्था, उचित विकास आदि की प्राप्ति में आईसीडीएस के उद्देश्य पूरक के रूप में कार्य करते हैं।

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 द्वारा देश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की नींव रखी अनुच्छेद 45 के अनुसार-“ राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी

बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। वर्ष 2002 में संविधान अधिनियम (86 वां संशोधन) द्वारा भारतीय संविधान में तीन महत्वपूर्ण प्रावधान सम्मिलित हुए-प्रथम, 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों की निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 ए के रूप में मौलिक अधिकार घोषित किया गया। द्वितीय, अनुच्छेद 45 को अग्रार्कित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया गया-“ राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा”

तृतीय, अनुच्छेद 51क में खंड (के) जोड़ा गया जो माता-पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्षीय बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना अनिवार्य करता है।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा नीति 2013 में राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा, पाठ्यक्रम रूपरेखा और गुणवत्तापूर्ण मानक सम्मिलित हैं। इसमें राज्य परिषद का गठन भी प्रस्तावित है जो राष्ट्रीय अवधारणा और रणनीति तैयार करेगी।

2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आरंभ किया गया। यह अभियान समस्त राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तृत है। यह कुपोषण उन्मूलन हेतु एक बहुमंत्रालयी मिशन है जिसका लक्ष्य आगामी 3 वर्षों में कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना है। यह पूर्व से चली आ रही अनेक योजनाओं- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनवाड़ी सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का संयोजन है। यह अभियान निश्चित ही प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से ईसीसीई हेतु सहायक सिद्ध होगा। 1986 के लगभग 34 वर्ष बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 आई जिसका प्रथम मूल सिद्धांत हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान, विकास है। नीति ने यह माना है कि आज भी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है जबकि यही शिक्षा भविष्य के शिक्षा स्तरों के लिए एक मजबूत बुनियाद होती है। एनईपी 2020 ने प्रथम बार ईसीसीई को विद्यालय शिक्षा के ढांचे में स्थापित किया है। इस नीति ने पूर्व विद्यालय संरचना (10 + 2) को (5 + 3 + 3 + 4) में पुनर्गठित किया है। इस संरचना में ईसीसीई फाउंडेशन स्टेज में समाहित है जो कि (3+2) में विभक्त है। नई नीति के अनुसार 5 वर्ष पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका (जो कि कक्षा एक से पहले है) में स्थानांतरित हो जाएगा जिसमें एक ईसीसीई योग्य शिक्षक होगा। यह मुख्य रूप से खेल आधारित होगी जिसमें संज्ञानात्मक - भावात्मक- शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता व संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित होगा। गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई संस्थानों की सर्वसुलभता निश्चित करने के लिए इन्हें अकेले चल रहे आंगनवाड़ी प्राथमिक विद्यालयों/ प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ी/ 5 से 6 वर्ष पूरा करने वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय जो कि प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित हैं/ अकेले चल रहे स्कूलों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। यह सभी विद्यालय ईसीसीई प्रशिक्षित शिक्षकों/ कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। चूंकि आंगनवाड़ी केंद्र सर्वसुलभ हैं अतः इन्हें समृद्ध बुनियादी संरचना द्वारा सशक्त किया जाएगा तथा इन्हें विद्यालय परिसरों से एकीकृत किया जाएगा ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों से प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्थानांतरण सुगम रहे। एनईपी आरटी द्वारा 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए दो भागों (0-3 वर्ष तथा 3-8 वर्ष) में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षणशास्त्रीय ढांचा (NCPFECCE) विकसित किया जाएगा जिसमें कला, कहानियां, कविता, खेल, गीत मुख्य रूप से सम्मिलित होंगे। इस के अनुसार 10 + 2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ शिक्षक को 6 माह का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा। कम योग्यता वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा। इन शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी व उसके सतत व्यावसायिक विकास हेतु आवश्यक सुविधाओं के विकास को भी यह नीति इंगित करती है। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा ये कार्यक्रम ऑनलाइन तथा मासिक संपर्क कक्षाओं के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। ईसीसीई आयोजन व क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। एक टास्क फोर्स के गठन की संस्तुति भी नीति करती है ताकि इस कार्यक्रम का सुचारु एकीकरण व सतत मार्गदर्शन किया जा सके। नई शिक्षा नीति की अपेक्षा है

की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के गुणवत्ता पूर्ण व सार्वभौमिक प्रावधान 2030 से पूर्व ही उपलब्ध हो जाएं। इस नीति में आदिवासी क्षेत्रों में ईसीसीई के प्रसार हेतु आश्रमशालाओं को आरंभ करने का भी नियमन है।

निष्कर्ष:

स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनेक दशक बीत जाने के बाद नई शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा को स्कूली शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया है जिससे यह आशा उत्पन्न हुई है कि आरंभिक वर्षों में ही उपयुक्त देखभाल व समुचित शैक्षिक व्यवस्था द्वारा प्राथमिक शिक्षा की कमियों को दूर किया जा सकेगा तथा बालकों में साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान के स्तर में उन्नति परिलक्षित होगी। साथ ही यह अनुबंध भी अनुचित नहीं होगा कि नई शिक्षा नीति की अपेक्षाएं सभी पूरी हो सकते हैं जबकि उससे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर पूर्व ईमानदारी व निष्ठा के भाव से इसके क्रियान्वयन में सहभागिता करे। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में हमें पांच दशक से भी अधिक समय लगा और आज हम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा को उसी स्थान पर रख रहे हैं जहां स्वतंत्रता के समय प्राथमिक शिक्षा थी जबकि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी अब यह स्पष्ट है कि ईसीसीई ही प्राथमिक शिक्षा का आधार है अतः भारत सरकार अथवा न्यायालय को इसे भी 21 ए में विस्तारित कर देना चाहिए ताकि हमारी प्राथमिक शिक्षा संबंधी भूल की पुनरावृत्ति नहो।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची:

- [1]. EducationforAll 2014 NUEPA, NewDelhi
- [2]. ICDS ManualForDistrictLevel Functionaries 2017
- [3]. IndianConstitution
- [4]. National ECCE Policy 2013
- [5]. NEP 2020, MHRD, NewDelhi
- [6]. ReportoftheCommittee on ChildCare (TarabaiCommittee) 1962 GovtofIndia
- [7]. UN Committee on The Rights of Child 1989
- [8]. UN DeclaretionofTheChildRights 1959